भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3933**
दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

**कुपोषण मुक्त भारत**

**3933. डा. एल. हनुमंतय्याः**
**श्रीमती फूलो देवी नेतमः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के अपने वायदे को पूरा करने की राह पर है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) वैश्विक भुखमरी सूचकांक की तुलना में सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर की गणना में इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली में क्या अंतर है और कार्यप्रणाली में इस अंतर का क्या औचित्य है; और
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या, कितनी-कितनी है?

**उत्तर**

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी** **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और इस मुद्दे का समाधान करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सरकार देशभर में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए लक्षित पहलों के रूप में अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएं स्कीम(आईसीडीएस) के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं स्कीम, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरी स्कीम का कार्यान्वयन करती है। पोषण अभियान का उद्देश्य एक अनुकूलित और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण् अपनाते हुए जीवनचक्र दृष्टिकोण के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से कुपोषण में कमी लाना है। इसके अलावा, 2021-22 के बजट में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समेकित पोषण सहयोग कार्यक्रम मिशन पोषण 2.0 की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य कल्याण और रोग तथा कुपोषण से प्रतिरक्षा को पोषित करने वाली पद्धतियों का विकास करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पोषण सामग्री, वितरण, पहुंच और परिणामों को सशक्त बनाना है। ये सभी स्कीमें पोषण से संबंधित एक या अन्य पहलुओं का समाधान करती हैं और इनमें देश में पोषण परिणामों में सुधार लाने की क्षमता है।

(ग) : वैश्विक भूख सूचकांक(जीएचआई) का प्रकाशन 'कन्सर्न वर्ल्डवाइड एंड वैल्थहंगरहिल्फे' द्वारा किया गया है। जीएचआई के अंक 4 घटक संकेतकों अर्थात आबादी में अल्पपोषण, बच्चों के दुबलेपन, बच्चों के ठिगनेपन और बाल मृत्युदर पर आधारित हैं। जीएचआई वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तरों पर भूख का मापन और पता लगाने का एक उपकरण है। वैश्विक भूख सूचकांक(जीएचआई) भारत की सही तस्वीर नहीं दर्शाता क्योंकि यह 'भूख' का एक त्रुटिपूर्ण मापन है। इसे अंकित मान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि न तो यह उपयुक्त है और न ही किसी देश में व्याप्त भूख का प्रदर्शक है। इन चार संकेतकों में से, केवल एक संकेतक यानी अल्पपोषण भूख से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। जीएचआई में 'आबादी में अल्पपोषण' संकेतक को एक सर्वेक्षण के माध्यम से हासिल किया गया है, जिसमें कोविड-19 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सरकार के आर्थिक प्रयासों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है।

दूसरी ओर देश में पोषण संकेतकों पर आंकड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के तहत प्राप्त किए जाते हैं। सर्वेक्षण के तहत अल्पपोषण और अधिक पोषण के प्रसार का आकलन करने के लिए बच्चों के बीच कुपोषण के स्तर के लिए डब्ल्यूएचओ के मानकों और वयस्कों के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित बॉडी मास इंडैक्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, एनएफएचएस कुपोषण के अन्य निर्धारकों जैसे टीकाकरण, माता के स्वास्थ्य और पोषण आदि सहित रक्ताल्पता, भोजन के सेवन और शिशु तथा बालक के आहार और देखभाल की पद्धतियों जैसे सूक्ष्म पोषक न्यूनताओं के प्रसार पर भी व्यापक जानकारी

प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े देश में पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के मार्गदर्शन में उपयोग किए जाते हैं।

| **एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अल्पवज़न, ठिगनेपन, दुबलेपन और अत्यधिक दुबलेपन का प्रसार** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.** | **राज्य** | **ठिगनेपन (5 वर्ष से कम)** | **अल्पवज़न (5 वर्ष से कम)** | **दुबलापन (5 वर्ष से कम)** | **गंभीर दुबलापन (5 वर्ष से कम)** |

(घ) : एनएफएचएस-4(2015-16) और एनएफएचएस-5(2019-21) के आंकड़ों के अनुसार देश में कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

******

| सं. | | एनएफएचएस -4 (2015-16) | एनएफएचएस -5 (2019-21) | एनएफएचएस - 4 (2015-16) | एनएफएचएस - 5 (2019-21) | एनएफएचएस -4 (2015-16) | एनएफएचएस -5 (2019-21) | एनएफएचएस -4 (2015-16) | एनएफएचएस-5 (2019-21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार | 23.3 | 22.5 | 21.6 | 23.7 | 18.9 | 16 | 7.5 | 4.8 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 31.4 | 31.2 | 31.9 | 29.6 | 17.2 | 16.1 | 4.5 | 6.0 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 29.4 | 28 | 19.5 | 15.4 | 17.3 | 13.1 | 8.0 | 6.5 |
| 4. | असम | 36.4 | 35.3 | 29.8 | 32.8 | 17 | 21.7 | 6.2 | 9.1 |
| 5. | बिहार | 48.3 | 42.9 | 43.9 | 41 | 20.8 | 22.9 | 7.0 | 8.8 |
| 6. | चंडीगढ़ | 28.7 | 25.3 | 24.5 | 20.6 | 10.9 | 8.4 | 3.9 | 2.3 |
| 7. | छत्तीसगढ | 37.6 | 34.6 | 37.7 | 31.3 | 23.1 | 18.9 | 8.4 | 7.5 |
| 8. | दादरा नगर हवेली और दमन व दीव | 37.2 | 39.4 | 35.8 | 38.7 | 26.7 | 21.6 | 11.5 | 4.3 |
| 9. | दिल्ली | 32.3 | 30.9 | 27 | 21.8 | 17.1 | 11.2 | 4.6 | 4.9 |
| 10. | गोवा | 20.1 | 25.8 | 23.8 | 24 | 21.9 | 19.1 | 9.5 | 7.5 |
| 11. | गुजरात | 38.5 | 39 | 39.3 | 39.7 | 26.4 | 25.1 | 9.5 | 10.6 |
| 12. | हरियाणा | 34 | 27.5 | 29.4 | 21.5 | 21.2 | 11.5 | 9.0 | 4.4 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 26.3 | 30.8 | 21.2 | 25.5 | 13.7 | 17.4 | 3.9 | 6.9 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 27.4 | 26.9 | 16.6 | 21 | 12.1 | 19 | 5.6 | 9.7 |
| 15. | झारखंड | 45.3 | 39.6 | 47.8 | 39.4 | 29 | 22.4 | 11.4 | 9.1 |
| 16. | कर्नाटक | 36.2 | 35.4 | 35.2 | 32.9 | 26.1 | 19.5 | 10.5 | 8.4 |
| 17. | केरल | 19.7 | 23.4 | 16.1 | 19.7 | 15.7 | 15.8 | 6.5 | 5.8 |
| 18. | लक्षद्वीप | 27.0 | 32.0 | 23.4 | 25.8 | 13.8 | 17.4 | 2.9 | 8.7 |
| 19 | लद्दाख | 30.9 | 30.5 | 18.7 | 20.4 | 9.3 | 17.5 | 5.1 | 9.1 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 42.0 | 35.7 | 42.8 | 33.0 | 25.8 | 19.0 | 9.2 | 6.5 |
| 21. | महाराष्ट्र | 34.4 | 35.2 | 36.0 | 36.1 | 25.6 | 25.6 | 9.4 | 10.9 |
| 22. | मणिपुर | 28.9 | 23.4 | 13.8 | 13.3 | 6.8 | 9.9 | 2.2 | 3.4 |
| 23. | मेघालय | 43.8 | 46.5 | 29.0 | 26.6 | 15.3 | 12.1 | 6.5 | 4.7 |
| 24. | मिजोरम | 28 | 28.9 | 11.9 | 12.7 | 6.1 | 9.8 | 2.3 | 4.9 |
| 25. | नागालैंड | 28.6 | 32.7 | 16.38 | 26.9 | 11.2 | 19.1 | 4.2 | 7.9 |
| 26. | ओडिशा | 34.1 | 31.0 | 34.4 | 29.7 | 20.4 | 18.1 | 6.4 | 6.1 |
| 28. | पुद्दुचेरी | 23.7 | 20.0 | 22.0 | 15.3 | 23.6 | 12.4 | 7.8 | 3.7 |
| 29. | पंजाब | 25.7 | 24.5 | 21.6 | 16.9 | 15.6 | 10.6 | 5.6 | 3.7 |
| 30. | राजस्थान | 39.1 | 31.8 | 36.7 | 27.6 | 23.0 | 16.8 | 8.6 | 7.6 |
| 30. | सिक्किम | 29.6 | 22.3 | 14.2 | 13.1 | 14.2 | 13.7 | 5.9 | 6.6 |
| 31. | तमिलनाडु | 27.1 | 25.0 | 23.8 | 22.0 | 19.7 | 14.6 | 7.9 | 5.5 |
| 32. | तेलंगाना | 28.1 | 33.1 | 28.5 | 31.8 | 18.0 | 21.7 | 4.8 | 8.5 |
| 33. | त्रिपुरा | 24.3 | 32.3 | 24.1 | 25.6 | 16.8 | 18.2 | 6.3 | 7.3 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 46.3 | 39.7 | 39.5 | 32.1 | 17.9 | 17.3 | 6.0 | 7.3 |
| 35. | उत्तराखंड | 33.5 | 27.0 | 26.6 | 21.0 | 19.5 | 13.2 | 9.0 | 4.7 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 32.5 | 33.8 | 31.5 | 32.2 | 20.3 | 20.3 | 6.5 | 7.1 |
| | **भारत** | **38.4** | **35.5** | **35.8** | **32.1** | **21.0** | **19.3** | **7.5** | **7.7** |

**अनुलग्नक**